रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1171] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14, 1937
No. 1171] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 53/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1489(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स आर.सी. मेटल इंडस्ट्रीज एन-5/130, आईआरसी गांव, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751015, (ओडिशा) और अन्य को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता जोनल यूनिट, कोलकाता द्वारा डीआरआई फा. सं. 129/केओएल/एपीपी/2013/5230-5241, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) प्रधान आयुक्त सीमा-शुल्क (पत्तन) या आयुक्त सीमा शुल्क (पत्तन) कोलकाता, कस्टम हाऊस, 15/1, स्ट्रैण्ड रोड, कोलकाता- 700001;

(ii) आयुक्त सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, (आईसीडी- दुर्गापुर), नानूर चंडीदास रोड, सिआन, बोलपुर-731204 पश्चिम बंगाल,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, प्रधान आयुक्त सीमा-शुल्क (पत्तन) अथवा आयुक्त सीमा-शुल्क (पत्तन) कोलकाता, कस्टम हाऊस, 15/1, स्ट्रैण्ड रोड, कोलकाता- 700001 को न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/147/2014-सीमा-शुल्क IV]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 53/ 2015-Customs (N.T.)

S.O. 1489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Commissioner of Customs (Port) or Commissioner of Customs (Port) Kolkata Custom House, 15/1, Strand Road, Kolkata-700001 to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Principal Commissioner of Customs (Port) or Commissioner of Customs (Port) Kolkata Custom House, 15/1, Strand Road, Kolkata-700001;

(ii) the Commissioner of Customs, Central Excise & Service Tax, (ICD-Durgapur), Nanoor Chandidas Road, Sian, Bolpur-731204, West Bengal,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. R. C. Metal Industries N-5/130, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar-751015, (Odisha) and others issued *vide*, DRI F. No. 129/KOL/APP/2013/5230-5241, dated the 17th November, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit, Kolkata.

[F. No. 437/147/2014-Cus. IV]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 54/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1490(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा मैसर्स शाही एक्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड, आईपी सं 1, सेक्टर 28, फरीदाबाद-121008 को अपर महानिदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा फा. सं. डीआरआई/एजेडयू/आरएनवी-38/2013/3098-3107 दिनांक 14 दिसम्बर, 2014 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामले में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क (निवारक), चैन्नई- IV;

(ii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, चैन्नई-VII, एयर कार्गो;

(iii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, बंगलुरू सिटी, बंगलुरू आयुक्तालय;

(iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, एयर पोर्ट तथा एयर कार्गो काम्प्लेक्स, बंगलुरू सिटी, बंगलुरू;

(v) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, एयर कार्गो काम्प्लेक्स (निर्यात न्यू कस्टम हाऊस नई दिल्ली;

(vi) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, आईसीडी, तुगलकाबाद (निर्यात); तथा

(vii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुडुचेरी।

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, चैन्नई -IV को एक **न्याय** निर्णयन प्राधिकारी के **रूप** में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/148/2015-सीमा-शुल्क IV]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 54/ 2015-Customs (N.T.)

S.O. 1490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, Chennai-IV to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Chennai- IV;

(ii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Chennai-VII Air Cargo;

(iii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Bengaluru City,Bengaluru Commissionerate;

(iv) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Bengaluru City, Bengaluru;

(v) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Export), New Customs House, New Delhi;

(vi) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, ICD, Tughlakabad (Export); and

(vii) the Principal Commissioner or Commissioner of Central Excise, Puducherry,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Shahi Exports Pvt. Ltd., I.P. No. 1, Sector-28, Faridabad-121008 issued *vide* F. No. DRI/AZU/INV-38/2013/3098-3107, dated the 14th November, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/148/2015-Cus. IV]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 55/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1491(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड,मैसर्स महेन्द्र ब्रदर्स एक्सपोर्ट प्रा.लि., सीई 7011, सातवां तल, टावर सी, सेन्ट्रल विंग, भारत डायमण्ड बोर्स, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा फा. सं. डीआरआई/एजेडयू/जी I-2/ईएनक्यू-30 (आईएनटी-5/13)/2014, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), एयर कार्गो कम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी, मुंबई;

(ii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमा-शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी, मुंबई;

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी, मुंबई को न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/03/2015-सीमा-शुल्क IV]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 55/2015-Customs (N.T.)

S.O. 1491(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Export), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri, Mumbai to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri, Mumbai;

(ii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Export), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri, Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Mahendra Brothers Exports Pvt. Ltd., CE 7011, 7th Floor, Tower C, Central Wing, Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 *vide*, Show Cause Notice F. No. DRI/AZU/GI-2/ENQ-30(INT-5/13)/2014, dated the 23rd December, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad-380007.

[F. No. 437/03/2015-Cus. IV]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 56/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1492(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा मैसर्स आईटीसी लि., वर्जिनिया हाउस 37, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट अहमदाबाद द्वारा, फा सं डीआरआई/एजेडयू/आरएनवी-41/2013/3342 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामले में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, चैन्नई- IV;

(ii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, न्हावा शेवा- IV;

(iii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, आईसीडी, तुगलकाबाद (निर्यात), तुगलकाबाद;

(iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, एयर कार्गो काम्प्लेक्स (निर्यात) न्यू कस्टम हाऊस नई दिल्ली;

(v) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, चैन्नई-VII, एयर कार्गो;

(vi) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, कोलकाता (बंदरगाह)।

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा-शुल्क, चैन्नई-IV को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/04/2015-सीमा शुल्क IV]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 56/2015-Customs (N.T.)

S.O. 1492(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, Chennai-IV to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Chennai IV;

(ii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Nhava Sheva-IV;

(iii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, ICD, Tughlakabad (Export), Tughlakabad;

(iv) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Export), New Customs House, New Delhi;

(v) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Chennai-VII Air Cargo;

(vi) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Hyderabad Commissionerate; and

(vii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Kolkata (Port),

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s ITC Limited, Virginia House, 37, J.L. Nehru Road, Kolkata issued *vide* F.No. DRI/AZU/INV-41/2013/3342, dated the 18th December, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/04/2015-Cus IV]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 57/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1493(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा मैसर्स गुजरात अंबुजा एक्सपोर्टस लि., "अंबुजा टावर", मेमनगर फायर स्टेशन के सामने, पोस्ट नवजीवन, अहमदाबाद को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट अहमदाबाद द्वारा, फा सं डीआरआई/एजेडयू/आरएनवी-27/2013/3332 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामले में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), जामनगर;

(ii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, न्हावा शेवा- IV;

(iii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, (निर्यात-II), न्यू कस्टम्स हाउस, मुम्बई; तथा

(iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, मुंद्रा पोर्ट तथा एसईजेड मुंद्रा।

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जामनगर (निवारक) को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है ।

[फा. सं. 437/05/2015-सीमा शुल्क IV]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 57/ 2015-Customs (N.T.)

S.O. 1493(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints thePrincipal Commissioner or Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar to act as a common adjudicatingauthority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar;

(ii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Nhava Sheva-IV;

(iii) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Export-II), New Customs House, Mumbai; and

(iv) the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Mundra Port & SEZ Mundra,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Gujarat Ambuja Exports Limited, "Ambuja Tower", Opp. Memnagar Fire Station, Post Navjivan, Ahmedabad 380014 (Gujarat) issued *vide* F.No. DRI/AZU/INV-27/2013/3332, dated the 18th December, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad.

[F.No. 437/05/2015-CusIV]

PROMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 58/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1494(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स डोज्को (डीओजेडसीओ) (इंडिया) प्राइवेट लि., सं. 243 ब्लॉक-डी इंडस्ट्रीयल डेवलमेंट पार्क, औटो नगर, विशाखापटनम-530012, फा. सं. VIII/26/03/2013-डीआरआई-एचआरयू दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 के तहत अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल इकाई हैदराबाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामले में न्याय-निर्णयन के लिए—

(i) संयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, विशाखापटनम-I आयुक्तालय, विशाखापटनम;

(ii) संयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाऊस, समुंद्री बंदरगाह-आयात,चैन्नई; तथा

(iii) संयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क ,एयर कार्गो, चैन्नई।

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा अपर आयुक्त, सीमाशुल्क विशाखापटनम-I, आयुक्तालय, विशाखापटनम को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/13/2015-सीमा शुल्क IV]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 58 /2015-Customs (N.T.)

S.O. 1494(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint or Additional Commissioner of Customs, Vishakhapatnam-I Commissionerate, Vishakhapatnam to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Joint or Additional Commissioner of Customs, Vishakhapatnam-I Commissionerate, Vishakhapatnam;

(ii) the Joint or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Sea Port-Import, Chennai; and

(iii) the Joint or Additional Commissioner of Customs, Air Cargo, Chennai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s DOZCO (India) Private Limited, No. 243, Block-D, Industrial Development Park, Auto Nagar, Vishakhapatnam-530012 issued, *vide* F.No. VIII/26/03/2013-DRI-HRU, dated the 29th December, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Hyderabad.

[F.No. 437/13/2015-Cus. IV]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 59/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1495(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा मैसर्स अरूणाचल को टिम्बर ट्रैडर्स (प्रा.) लि., बी-116, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली – 110015, दिनांक 30 जनवरी,2015 को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल इकाई हैदराबाद द्वारा फा. सं. VIII/20/37/2013- डीआरआई-वीआईसी के तहत जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमा शुल्क मुंद्रा,

(ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमा शुल्क कांडला,

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा संयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, मुंद्रा को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/20/2015-सीमा शुल्क IV]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 59 / 2015-Customs (N.T.)

S.O. 1495(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint or Additional Commissioner of Customs, Mundra to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Joint or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Mundra; and

(ii) the Joint or Additional Commissioner of Customs, Kandla ,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Arunachal Timber Traders (P) Ltd, B-116, Mansarovar Garden, New Delhi -110015 issued, *vide* F.No VIII/26/37/2013-DRI VIC, dated the 30th January, 2015 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/20/2015-Cus IV]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.